INDIA PARTNER Dabur GROUP

# अवीवा धन समृद्धि

AVIVA

| Life Insurance |

**एक गैर–संपर्क, गैर–सहभागिता रकम वापसी योजना गारंटीड रिटर्न्स के साथ।**

जैसे–जैसे हम अपने भविष्य के निवेश लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बचत का संघर्ष करते हैं, हम अल्पावधि के लिए जरूरी रकम की योजना बनाना भूल जाते हैं। अविवा में हम अल्पावधि वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए लचीलेपन के साथ–साथ दीर्घावधि संग्रह बनाने की आपकी इच्छाओं को पहचानते हैं।

प्रस्तुत करते हैं **अवीवा धन समृद्धिः** एक बचत सह सुरक्षा योजना, जो पॉलिसी के अवधि के दौरान समय–समय पर रकम वापस करते हुए आपको भविष्य के निवेशों के लिए एक संग्रह बनाने में सक्षम बनाता है ताकि आप अपनी वर्तमान वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा करते रहे।

## अवीवा धन समृद्धि – अनोखे आकर्षण

- **रिटर्न्स की गारंटीः** आपको इस पॉलिसी में, आपके द्वारा चुने गए पॉलिसी अवधि के आधार पर पॉलिसी के अवधि के समाप्ति तक वार्षिकृत किस्त (करों और किसी अन्य अतिरिक्त किस्त को छोड़कर) के 7% प्रति वर्ष से लेकर 9% प्रति वर्ष की अतिरिक्त रकम मिलने की गारंटी मिलती है।
- **नकदीः** आपकी पॉलिसी उत्तरजीविता लाभ के रूप में प्रति 5 वर्षों (मैचुरिटी को छोड़कर) में वार्षिकृत किस्त (करों और किसी अन्य अतिरिक्त किस्त को छोड़कर) का 125% रकम आपको वापस लौटाती है।
- **मैचुरिटी बेनिफिट की गारंटीः** मैचुरिटी पर, आपको आश्वस्त रकम सहित उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम घटाव पहले ही भुगतान की जा चुकी उत्तरजीविता बेनिफिट मिलता है।
- **आश्वस्त रकम अधिक होने पर छूटः** यदि आपका आश्वस्त रकम ₹5 लाख या अधिक है तो मूल किस्तों पर छूट की अनुमति है।

## अवीवा धन समृद्धि – पात्रता

| | |
|---|---|
| **प्रवेश आयु** | न्यूनतमः 13 वर्ष पिछले जन्मदिन<br>अधिकतमः 55 वर्ष पिछले जन्मदिन |
| **मैचुरिटी आयु** | 23 से 70 वर्ष |
| **पॉलिसी की अवधि** | 10, 15 या 20 वर्ष, अधिकतम मैचुरिटी आयु के अधीन |
| **किस्त भुगतान की अवधि** | सभी पॉलिसी अवधियों के लिए 10 वर्ष |
| **आश्वस्त रकम** | न्यूनतमः ₹100,000<br>अधिकतमः ₹5 करोड़ |
| **किस्त** | आयु, पॉलिसी की अवधि और आश्वस्त रकम पर निर्भर है<br>न्यूनतम किस्तः ₹6,464 वार्षिक मोड के लिए<br>₹3,302 अर्ध–वार्षिक के लिए<br>₹1,675 तिमासिक मोड के लिए<br>₹563 मासिक मोड के लिए<br>अधिकतम किस्तः ₹47.53 लाख |
| **किस्त भुगतान आवृत्ति** | वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, तिमासिक और मासिक<br>मासिक मोड के लिए, केवल ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट की अनुमति है |

**कृपया ध्यान दें:**

1. करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
2. यदि पॉलिसी की शुरुआत में बीमित व्यक्ति एक नाबालिग हैः
   – जोखिम तत्काल शुरू हो जाएगी
   – वह पॉलिसी धारक किस्तों का भुगतान करेगा जो बीमित व्यक्ति का माता/पिता या दादा/दादी या कानूनी अभिभावक हो। किस्तों के भुगतान की अवधि पूर्ण होने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु की घटना में बीमित व्यक्ति के जीवित माता/पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा भविष्य के किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है और यदि भविष्य के किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समाप्ति/प्रदत्त प्रावधान लागू होगा।
   – पॉलिसी धारक के मृत्यु के घटना में, जहाँ बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है, वहां कंपनी द्वारा मांगे गए आवश्यक आवेदन और समर्थनकारी दस्तावेज जमा करने पर पॉलिसी बीमित व्यक्ति के माता/पिता/कानूनी अभिभावक में निहित होगा।
   – बीमित व्यक्ति के पिछले जन्मदिन को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पॉलिसी स्वचालित रूप से बीमित व्यक्ति के पक्ष में निहित होगी।

## अवीवा धन समृद्धि – लाभ

- **गारंटीड अतिरिक्त रकमः** आपके द्वारा चुनी गई पॉलिसी के अवधि के आधार पर आप गारंटीड अतिरिक्त रकम पाने के अधिकारी होंगे, जैसा नीचे तालिका में दिया गया है। पॉलिसी के अवधि के दौरान, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में एक पॉलिसी वर्ष का गारंटीड अतिरिक्त रकम उपार्जित हो जाएगा, यदि गारंटीड अतिरिक्त रकम के उपार्जित के समय सभी नियत किस्तों का भुगतान किया गया हो। मैचुरिटी बेनिफिट के साथ या समय से पहले बीमित व्यक्ति के मृत्यु पर उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम भी भुगतान किया जाएगा।

| वार्षिकृत किस्त के % के रूप में प्रति वर्ष गारंटीड अतिरिक्त रकम | पॉलिसी की अवधि (वर्षों में) | | |
|---|---|---|---|
| | 10 | 15 | 20 |
| | 7% | 8% | 9% |

*वार्षिकृत किस्त में कर और कोई अन्य अतिरिक्त किस्त शामिल नहीं है

- **उत्तरजीविता के लाभः** आपको मैचुरिटी के अलावा पॉलिसी के प्रत्येक 5 वे वर्ष के अंत में वार्षिकृत किस्त (कर और कोई अन्य अतिरिक्त किस्त को छोड़कर) के 125% रकम के समान उत्तरजीविता लाभ मिलने की गारंटी मिलती है, यदि उत्तरजीविता लाभ भुगतानों की तिथि तक सभी नियत किस्तों का भुगतान किया गया हो।

| पॉलिसी की अवधि (वर्षों में) | पॉलिसी वर्ष के अंत में देय उत्तरजीविता लाभ |
|---|---|
| 10 | 5 वे, |
| 15 | 5 वे, 10 वे |
| 20 | 5 वे, 10 वे, 15 वे |

- **मैचुरिटी लाभः** यदि आप अपनी सभी बकाया किस्तों का भुगतान करते हैं, तो आपको आश्वस्त रकम सहित मैचुरिटी तक की उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम घटाव पहले ही भुगतान की जा चुकी उत्तरजीविता लाभ के रकम के समान एक गारंटीड मैचुरिटी लाभ मिलता है।

**उदाहरणः**
**पॉलिसी की अवधिः** 20 वर्ष

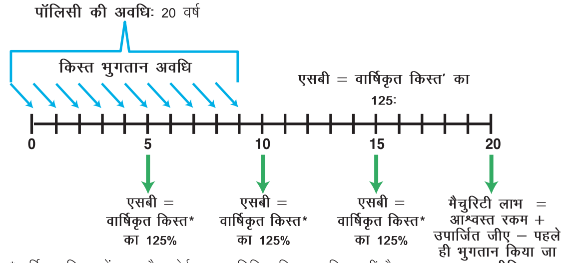


*वार्षिकृत किस्त में कर और कोई अन्य अतिरिक्त किस्त शामिल नहीं है।

- मृत्यु लाभः बीमित व्यक्ति के पॉलिसी की अवधि के अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के घटना में, नामांकित व्यक्ति को निम्न भुगतान किया जाएगा, बशर्ते मृत्यु की तिथि तक का सभी नियत किस्तों का भुगतान किया गया होः

मृत्यु पर देय रकम निम्न रकमों में से सबसे बड़ा रकम होगाः–

क) वार्षिकृत किस्त का 10 गुना (करों और किसी अन्य किस्त, यदि हो, को छोड़कर), या

ख) मृत्यु की तिथि को भुगतान किए गए सभी किस्तों का 105% (करों और किसी अन्य किस्त, यदि हो, को छोड़कर), या

ग) पॉलिसी का आश्वस्त रकम सहित पहले ही भुगतान की जा चुकी किसी उत्तरजीविता लाभ को घटाए बगैर मृत्यु की तिथि तक उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम।

**उदाहरण:**
**पॉलिसी की अवधि:** 20 वर्ष

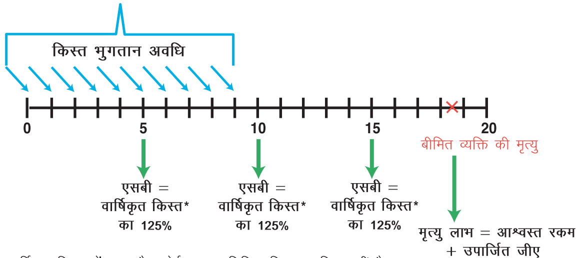


*वार्षिकृत किस्त में कर और कोई अन्य अतिरिक्त किस्त शामिल नहीं है।

- **छूट की अवधि:** वार्षिक, अर्ध–वार्षिक और तिमासिक मोड में अपना किस्त देने के लिए नियत तिथि से 30 दिनों और मासिक मोड के लिए 15 दिनों की छूट की अवधि है। छूट की अवधि के दौरान पॉलिसी पूरे जोखिम कवर के साथ जारी रहेगी।

**पॉलिसी के पहले साल के दौरान नियमित किस्तों का भुगतान न करना (पहले साल के लिए देय किस्त से कम किस्त भुगतान किया गया हो):**

- यदि आप छूट की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी के पहले साल की देय किस्त चुकाने में असफल रहते हैं, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई प्रदत्त या समर्पण मूल्य नहीं मिलेगा।
- आप एक समाप्त पॉलिसी को बहाली अवधि के दौरान सभी बकाया किस्तों समेत लागू ब्याज और बहाली शुल्क चुका कर पुनः बहाल करवा सकते हैं। बहाली अवधि प्रथम अदत्त किस्त के नियत तिथि से 2 वर्षों की होती है।
- यदि आप अपनी पॉलिसी बहाल नहीं करवाते हैं, तो पॉलिसी बिना किसी लाभ के समाप्त हो जाएगी।

**पॉलिसी के दूसरे साल के दौरान नियमित किस्तों का भुगतान न करना (कम से कम पहले साल का किस्त चुकाया गया हो लेकिन दो साल के किस्त से कम किस्त चुकाया गया हो):**

- यदि पहले साल का किस्त चुका दिया गया है और आप छूट की अवधि के अंतर्गत अगला देय किस्त चुकाने में असफल रहते हैं, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- आप एक समाप्त पॉलिसी को प्रथम अदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के अंतर्गत सभी बकाया किस्तों समेत लागू ब्याज और बहाली शुल्क चुका कर पुनः बहाल करवा सकते हैं।
- यदि आप अपनी पॉलिसी बहाल नहीं करवाते हैं, तो बहाली अवधि के अंत में भुगतान की गई सभी किस्त (करों और किसी अन्य अतिरिक्त किस्त को छोड़कर) का 30% रकम देकर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- यदि बहाली अवधि के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के समय भुगतान की गई सभी किस्त (करों और किसी अन्य अतिरिक्त किस्त को छोड़कर) का 30% रकम देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

**पॉलिसी के पहले दो सालों के बाद नियमित किस्तों का भुगतान न करना (कम से कम दो सालों का किस्त चुकाया गया हो):**

- यदि कम से कम पहले दो सालों का किस्त चुकाया गया है और आप छूट की अवधि के अंतर्गत अगला देय किस्त चुकाने में असफल रहते हैं, तो छूट की अवधि समाप्त होने के बाद पॉलिसी प्रदत्त बन जाएगी और इसके लिए प्रदत्त आश्वस्त रकम लागू होगा, जिसकी गणना निम्न अनुसार की जाती है:

$$\frac{\text{आश्वस्त रकम} \times \text{भुगतान की गई किस्तों की संख्या}}{\text{पॉलिसी के अधीन देय किस्तों की कुल संख्या}}$$

प्रदत्त तिथि के बाद कोई गारंटीड अतिरिक्त रकम उपार्जित नहीं होगा।

- आप एक प्रदत्त पॉलिसी को प्रथम अदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षों के अवधि के भीतर सभी बकाया किस्तों समेत लागू ब्याज और रिवाइवल शुल्क का भुगतान कर रिवाइव कर सकते हैं।
- प्रदत्त बनने के बाद
  - पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने के मामले में, प्रदत्त आश्वस्त रकम सहित पहले ही भुगतान की जा चुकी किसी उत्तरजीविता लाभों को घटाए बगैर उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम देय होगा।
  - बीमित व्यक्ति मैचुरिटी तक जीवित रहने के मामले में, प्रदत्त आश्वस्त रकम सहित उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम घटाव पहले ही भुगतान की जा चुकी कोई उत्तरजीविता लाभ देय होगा।
  - आपकी समाप्त/प्रदत्त पॉलिसी भविष्य में कोई उत्तरजीविता लाभ और भविष्य की कोई भी अन्य गारंटीड अतिरिक्त रकम पाने का अधिकारी नहीं होगा। हालांकि, प्रदत्त तिथि तक उपार्जित सभी गारंटीड अतिरिक्त रकम पॉलिसी के साथ जुड़े रहेंगे और यह प्रदत्त आश्वस्त रकम के साथ देय होगा।
- **बहाली/रिवाइवल**

आप पॉलिसी के अवधि के दौरान किन्तु प्रथम अदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षों के अंतर्गत बहाल/रिवाइव किए जाने वाले रकम के आधार पर, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति के अनुसार कंपनी के संतुष्टि के अनुरूप बीमित व्यक्ति के निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण जमा कर और सभी बकाया किस्तों सहित 9% प्रति वर्ष के दर पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करके अपनी पॉलिसी बहाल/रिवाइव करवा सकते हैं। किसी चिकित्सीय परीक्षा, यदि हो, का खर्च आप उठाएंगे। एक समर्पण पॉलिसी को बहाल/रिवाइव नहीं किया जा सकता है।

कंपनी को एक समाप्त/प्रदत्त पॉलिसी को बहाल/रिवाइव करने का अधिकार आरक्षित है। बहाली/रिवाइवल शुल्क का भुगतान करने पर ही एक समाप्त/प्रदत्त पॉलिसी की बहाल/रिवाइव किया जा सकता है, जो ₹250 है।

**समर्पण**

- एक प्रभाव–में या प्रदत्त पॉलिसी का समर्पण किया जा सकता है बशर्ते पहले दो पॉलिसी वर्ष के सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो।
- देय समर्पण मूल्य वह होगा जो आश्वस्त समर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी) में से बड़ा हो।

  जहाँ:

  **जीएसवी** = भुगतान की गई किस्तें* × जीएसवी घटक – पहले ही भुगतान की जा चुकी उत्तरजीविता लाभ

*किस्तों में, अतिरिक्त किस्तों के रूप में भुगतान की गई कोई रकम, यदि हो और/या कर शामिल नहीं है।

| पॉलिसी का समर्पण वर्ष | जीएसवी घटक | | |
|---|---|---|---|
| | पॉलिसी की अवधि = 10 वर्ष | पॉलिसी की अवधि = 15 वर्ष | पॉलिसी की अवधि = 20 वर्ष |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 30% | 30% | 30% |
| 3 | 30% | 30% | 30% |
| 4 | 50% | 50% | 50% |
| 5 | 50% | 50% | 50% |
| 6 | 50% | 50% | 50% |
| 7 | 50% | 50% | 50% |
| 8 | 90% | 75% | 70% |
| 9 | 90% | 80% | 70% |
| 10 | 90% | 90% | 75% |
| 11 | | 90% | 75% |
| 12 | | 90% | 75% |
| 13 | | 90% | 75% |
| 14 | | 90% | 75% |
| 15 | | 90% | 75% |
| 16 | | | 80% |
| 17 | | | 80% |
| 18 | | | 80% |
| 19 | | | 80% |
| 20 | | | 85% |

**एसएसवी** = [(भुगतान की गई आश्वस्त रकम सहित उपार्जित गारंटीड अतिरिक्त रकम) × एसएसवी घटक] घटाव [पहले ही भुगतान की जा चुकी उत्तरजीविता लाभ, यदि हो]

विशेष समर्पण मूल्य घटकों (एसएसवी) में विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा आईआरडीए से मंजूरी पाने के बाद समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

- **कर लाभः** कर के लाभ प्रचलित कर विधियों के अनुसार होंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
- **नामांकन एवं समनुदेशनः**

  इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन परिभाषित नामांकन की अनुमति है।

  इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अधीन परिभाषित समनुदेशन की अनुमति है।
- **फ्री लुक अवधिः** आपको फ्री लुक अवधि, पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि आप फ्री लुक अवधि के दौरान अपनी पॉलिसी रद्द करते हैं, तो कंपनी रद्दीकरण की तिथि को किस्त में से चिकित्सा (यदि हो) और स्टैम्प ड्यूटी पर वहन की गई खर्चे काटने के बाद किस्त वापस लौटा देगी।
- **अपवाद (यदि हो):** 12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने परः

i. पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

ii. पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो किसी कर को भुगतान और अतिरिक्त किस्तों को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

**अवीवा धन समृद्धि – किस्त के भुगतान के बारे में**

- वार्षिक किस्त को मोडल फैक्टर बेसेस की किस्त भुगतान आवृत्ति के साथ गुणा करके किस्त की गणना की जाएगी, जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में प्रस्तुत हैः

| किस्त भुगतान आवृत्ति | मोडल फैक्टर |
|---|---|
| वार्षिक | 1.0000 |
| अर्ध वार्षिक | 0.5108 |
| तिमासिक | 0.2591 |
| मासिक | 0.0871 |

पॉलिसी के किसी भी वर्षगाँठ पर अनुरोध द्वारा किस्तों के भुगतान के भिन्न मोड के बीच परिवर्तन करवाने की अनुमति है, बशर्ते परिवर्तन शुल्क देना होगा जो ₹100/– है। इस योजना के अधीन कोई अन्य परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

**किस्त के दरों का नमूना**

- किस्तों के सांकेतिक दर (आश्वस्त रकम के प्रति ₹1000 के लिए)

| आयु | पॉलिसी की अवधि | | |
|---|---|---|---|
| | 10 | 15 | 20 |
| 35 | 89.75 | 74.75 | 65.85 |
| 45 | 91.16 | 76.87 | 68.91 |

- अधिक आश्वस्त रकम के लिए छूटः आप देय किस्तों पर छूट पाने के पात्र है, जैसा नीचे बताया गया हैः

| आश्वस्त रकम की सीमा | छूट (मूल आश्वस्त रकम के प्रति ₹1000 के लिए) |
|---|---|
| >=1 लाख और <5 लाख | शून्य |
| >=5 लाख और <10 लाख | 4.0 |
| >=10 लाख | 5.0 |

- करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।

## स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अवीवा किसी भी दावे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

## अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया– डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बीमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834.से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)। डाबर की एक प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड की संस्थापना वर्ष 1884 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने और बड़ी कंपनियों में से एक है। यह भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य वर्धन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादकर्ता है।

## धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

उपबंधित है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे इस उप–धारा के अर्थों के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्रमाणित करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

## धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

**पूछताछ और शिकायतः**

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करेंः

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737

फैक्स नं.: 0124- 2571210

AVIVA
| Life Insurance |

## डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

### अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड


**मुख्य कार्यालयः** अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210

वेबसाइटः www.avivaindia.com

ई–मेलः customerservices@avivaindia.com

**पंजीकृत कार्यालयः** द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001 भारत

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880


फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा धन समृद्धि नॉन–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। भारतीय IRDA नं. 122 जोखिम के कारणों और नियमों एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया सेल्स ब्रोशर पढ़ने के बाद बिक्री करार पूरा करें। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा।
हेल्पलाइन नं. 1800-180-22-66/1800-103-77-66, UIN: 122N097V03, Advt No. Dec 34/18, MKT/November 2017/Ver.1.3